

दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ यू0 पी0 लि0 लखनऊ।

पत्रांक:सेके0/4/2307/2017/

दिनांक: नवम्बर, 14 2017

श्री राजीव सोनकर, प्रबन्धक (तकनीकी) –Information Technology विभाग

शासन के पत्र संख्या 986/77-2-17-एल.सी. 48 /2017 दिनांक 18.09.2017 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करते हुये, निगम की इस सम्बन्ध में वेबसाईट पर निर्दिष्ट किये जाये। अतः आप से निम्नवत अनुरोध है:-

(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) को पिकप के वेबसाईट पर अपलोड किया जाये।

(2) उपरोक्त प्रकरण में निगम की वस्तुस्थिति जो कि निम्नवत है, उसे भी वेबसाईट पर अपलोड करते हुये दर्शाया जाये।

क्र0स0	विभाग का नाम	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल न0	विभाग से संबंधित R.P.W.D. ACT,2016 के अधिनियम की संगत धारा	अपेक्षित कार्यवाही	अन्युक्ति
1	दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ यू0 पी0 लि0 लखनऊ।	श्री अतुल पाण्डेय, उप प्रबन्धक(प्रशासन) जिनका सम्पर्क मोबाइल नं0 9335816095	नियम-20(1)	श्रेणी-ग आशुलिपिक में 02 पद रिक्त है। शासन से सीधी भर्ती पर प्रतिबंध है, अतः अपेक्षित कार्यवाही शून्य है।	उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि पिकप की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत औद्योगिक विकास अनुभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्र संख्या 1846/77-6-07-एल. सी. /17/05, दिनांक 23.08.2007 (संलग्न) द्वारा निगम में सीधी भर्ती के पदों को भरा जाना प्रतिबन्धित है। अतः प्रकरण में निगम स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अमित पाल  
(अमित पाल)  
प्रबन्धक (मा0स0वि0)  
क०५३